



## The Uttaranchal Fisheries Act, 2003

Act 2 of 2003

**Keyword(s):**

**Fish, Fishing Craft, Fishing Gear, Fishing Offence, Fishery Officer, Fixed Engine, Private Waters**

Amendment appended: 6 of 2023

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



# सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 27 मई, 2003 ई०  
ज्येष्ठ 06, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 183/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 27 मई, 2003

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 पर दिनांक 16 अप्रैल, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 02, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल मत्स्य अधिनियम, 2003

(उत्तरांचल अधिनियम सं० 02, वर्ष 2003)

उत्तरांचल में मछली पालन की व्यवस्था करने के लिये एक अधिनियम

उत्तरांचल राज्य में मछली पालन की व्यवस्था तथा तदसम्बन्धी विषयों के लिए भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अधिनियम

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल मत्स्य अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह राज्य सरकार के सरकारी गजट में विज्ञापित होने के दिनांक से प्रभावी माना जायेगा।

परिशिष्ट

2. इस अधिनियम में जब तक कोई अन्यथा अपेक्षित न हो—

(1) "मछली" का तात्पर्य मछली, शैल फिश, फिन फिश, कछुआ, पानी में उगने वाले ऐसे पौधे जो मछली पालने के लिये महत्वपूर्ण हैं और मछली के जीवन काल की प्रत्येक अवस्था की मछली सम्मिलित है;

(2) "फिशिंग क्रफ्ट" का तात्पर्य मानव चालित या इंजिन चालित नाव से है जो मछली शिकारमाही या मछली यातायात के उपयोग में लाया जाय;

(3) "शिकारमाही उपकरण" का तात्पर्य मछली पकड़ने के जाल, कांटे की लाइन, रौड लाइन, शिकारमाही यंत्रों से है;

(4) "मछली पकड़ने का अपराध" का तात्पर्य ऐसे अपराध से है जो इस अधिनियम के आदेशों के अधीन दण्डनीय हो;

(5) "मत्स्य पदाधिकारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार ने इस अधिनियम के समस्त या किसी ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिये या कोई ऐसा काम करने के लिये नियुक्त किया हो, जिसके करने का इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम के अधीन आदेश हो, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी पुलिस अधिकारी, जो पद में सब इन्स्पेक्टर से निम्न पद हो, इस प्रकार नियुक्त न किया जायेगा;

(6) "स्थिर इंजिन" का तात्पर्य किसी ऐसे जाल, पिंजड़े वंसी (फंदा) या मछली पकड़ने के किसी ऐसे उपकरण से है, जिसे भूमि में लगाया गया हो या जिसे किसी अन्य प्रकार से स्थिर कर दिया गया हो;

(7) "निजी जलाशय" का तात्पर्य किसी ऐसे जलाशय से है, जो किसी व्यक्ति या धार्मिक संस्था की एकांकी सम्पत्ति हो या जिसमें किसी व्यक्ति या धार्मिक संस्था या समिति को मछली पकड़ने का स्वामी, पट्टेदार या किसी अन्य रूप में एकाधिकार प्राप्त हो और इसमें ऐसे तालाब, षॉड, प्राकृतिक, कृत्रिम झील आदि भी सम्मिलित हैं, जिन्हें उनके स्वामी ने अपने व्यय से खुदवाया हो और जिनमें वर्षा ऋतु में नैसर्गिक पानी अर्थात् नदियों, नहरों, धाराओं और झीलों का पानी न आता हो;

(8) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य की सरकार से है;

(9) मत्स्य अभ्यारण्य/संरक्षित जल स्रोत का तात्पर्य उन जल स्रोतों के सन्दर्भ में है जिनमें किसी भी कारणवश मछली का शिकार करना प्रतिबन्धित है। ऐसे सभी जल स्रोतों को मत्स्य जैव विविधता के संरक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित कर प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किया जाए।

नियमों द्वारा चुने हुये जलाशयों में मछली मारने पर लाइसेंस लगाना और उसका निष्केष करना

3. (1) राज्य सरकार इस धारा में आगे बताये गये प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है और ऐसे नियमों के अधीन यह घोषणा करेगी कि किन जलाशयों के सम्बन्ध में यह सब नियम या इनमें से लागू होंगे।

(2) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञापित प्रकाशित करके, ऐसे नियम या इनमें से किसी को किसी निजी जलाशय पर उसके स्वामी और उन सब व्यक्तियों की लिखित स्वीकृति से लागू कर सकती है जिनका उस समय उसमें से मछलियां पकड़ने का अधिकार हो या यदि राज्य सरकार को इस बात का संतोष हो जाय कि स्वीकृति बिना उचित कारण के रोक ली गई है, तो बिना उनकी स्वीकृति के भी लागू कर सकती है।

(3) ऐसे नियम—

(क) नीचे लिखी हुई सब बातों या उनमें से किसी बात को निषिद्ध या नियमित कर सकते हैं, अर्थात्—

(1) स्थिर इजिनों को लगाना और चलाना,

(2) जल प्रबन्धन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा नदी नालों में निर्मित चैक डेमों का स्वामित्व सम्बन्धित विभागों का होगा किन्तु मत्स्य विकास एवं प्रबन्धन का अधिकार मत्स्य पालन विभाग में निहित होगा। इन चैक डेमों में मत्स्य पालन एवं संग्रहण के लिए मत्स्य विभाग द्वारा स्थानीय ग्रामीण सहायता समूहों या मत्स्य सहकारी समितियों को पट्टे पर दिए जाने का प्राविधान होगा,

(3) जालों का नाम, प्रकार और जाल के फंदे या मछली पकड़ने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले किसी अन्य उपकरण का आकार और उनको उपयोग में लाने का ढंग;

(ख) लाइसेंस के बिना मछली पकड़ने का निषेध करना, ऐसे लाइसेंस दिये जाने की विधि निर्धारित करना, उनके लिये शुल्क नियत करना और जिन प्रतिबन्धों के साथ वह दिये जायेंगे उनको नियत करना;

(ग) बन्दूक, बर्छी, धनुष और बाण या उसी प्रकार के हथियारों द्वारा मछली मारना या मारने का प्रयत्न करना, जलाशय को विषैला करना या कारखानों इत्यादि के गंदे पानी से जलाशय गंदा करना;

(घ) ऋतुएं निर्धारित करना, जिनमें कि विशेष प्रकार की छोटी या बड़ी मछली या उनके अंडे पकड़ने, मारने, बेचने का निषेध होगा;

(ङ) कम से कम माप तौल निर्धारित करना जिससे कम की किसी निर्धारित प्रकार की कोई मछली मारी या बेची न जायेगी;

(च) किसी निर्दिष्ट जलाशय में नियत अवधि के लिये मछली पकड़ने का निषेध करना;

(छ) किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के बाहर मछलियों के निर्यात और उस मूल्य की व्यवस्था करना जिस पर सब या किसी विशेष प्रकार की मछलियां निर्दिष्ट मण्डियों में खरीदी या बेची जा सकती हैं;

(ज) किसी तालाब या झील के स्वामी, साधि बन्धक ग्राही या पट्टेदार को यह आदेश देना कि वह ऐसे तालाब, झील में किस प्रकार या प्रकारों की मछलियां इकट्ठा करें;

(झ) प्रजनन काल में नदी नालों एवं अन्य प्रजनन स्थलों में प्राकृतिक प्रजनन हेतु मत्स्य दोहन निषेध रहेगा। निजी क्षेत्र में हैचरी बनवाने हेतु विभाग द्वारा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी;

(ञ) प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने का प्रावधान किया जाएगा;

(ट) मत्स्य जीवी वर्ग जिसमें बंगाली, आदिवासी, मछुवा, निषाद, कश्यप समाज आदि भी सम्मिलित हैं, के लिए मात्स्यिकी प्रशिक्षण के साथ-साथ मछली पालन हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा;

(ठ) मछली पालन व्यवसाय की उन्नति एवं मत्स्य कृषकों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु विभाग द्वारा संघ या समिति स्थापित करके प्रदत्त सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी;

(ड) विभाग प्रगतिशील कृषकों को निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन हेतु समय-समय पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे-बैंक ऋण, तालाब निर्माण, मत्स्य बीज, मत्स्य आहार, प्रशिक्षण आदि उपलब्ध कराएगा;

(ढ) मछली बाजार को नियंत्रित करना, मछली का प्रसंस्करण एवं मछली उत्पादों का क्रय एवं उपयोग को नियंत्रित करना;

रि  
य

त  
या  
प्त  
हैं  
नी

दर्भ  
जल  
शेत

भयम  
के

म या  
तयों  
लियां  
य कि  
लागू

द्व या

(ण) निर्दिष्ट स्थानों में मछली पकड़ने के उपकरणों का संग्रह नियंत्रित करना;

(त) निर्दिष्ट स्थानों में सब या विशेष मछली प्रजाति या मछली उत्पादन प्रजाति का यातायात आवश्यकतानुसार नियंत्रित करना।

ऐसे नियम, अन्य बातें—

(क) राज्य से मछली या मत्स्य उत्पाद के आयात तथा निर्यात के लिये मांग निर्धारित करना;

(ख) मत्स्य अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस के बिना मत्स्य आयात, निर्यात या यातायात का निषेध करना अन्यथा शर्तें निर्धारित करना;

(ग) लाइसेंस के प्रारूप, फार्म निर्धारित करना;

(घ) निर्दिष्ट सीमा के अन्तर्गत मछली के परीक्षण का अधिकार।

(4) इस धारा के अन्तर्गत किसी नियम के बनाने में राज्य सरकार नीचे लिखी हुई बातों की व्यवस्था कर सकती है :—

(क) किसी ऐसे उपकरण को छीन लेना, हटा देना और जब्त कर लेना, जो नियमों के विरुद्ध मछली पकड़ने के लिये स्थापित किया या उपयोग में लाया गया हो;

(ख) किसी ऐसे उपकरण द्वारा पकड़ी हुई किसी मछली को जब्त कर लेना; और

(ग) मछलियों की किसी ऐसी पेट्टी को जब्त करना, जहाँ नियम का उल्लंघन करके किसी के पास हो या कहीं भेजी जा रही हो।

(5) इस अधिनियम के अधीन कृत समस्त नियमों, उनके बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र जो की जा सकेंगी, को राज्य विधान सभा के समक्ष जब यह एक सत्र या अनुवर्ती कई सत्रों के तारतम्य में चौदह दिनों की विस्तारित कुल अवधि के लिये सत्र में है, रखी जायेगी और जब तक कोई पश्चातवर्ती तिथि न नियत की जाय उनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ऐसे उपान्तरणों या शून्यीकरण जैसा विधायिका करने को सहमत हो, के अध्यक्षीन प्रभाविता ग्रहण करेगी, इसलिये, हालांकि, ऐसा कोई उपान्तरण या शून्यीकरण उसके अधीन पूर्व में कृत किसी कार्य की वैधता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना होगी।

मछलियों की बिक्री को निषेध करने का अधिकार

4. राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निषेध कर सकती है कि किसी क्षेत्र या क्षेत्रों में, जो इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट किये जायें, कोई ऐसी मछली बिक्री या अदला-बदली के लिये प्रस्तुत या प्रदर्शित न की जाय जो धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करके पकड़ी गई हो।

दण्ड

5. धारा 3 के अधीन बनाये गये किसी नियम का या किसी ऐसे निषेध का उल्लंघन करने पर जिसके सम्बन्ध में, धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति निकाली गई हो, नीचे लिखा हुआ दण्ड दिया जायेगा।

(1) पहली बार दण्डनीय घोषित होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है या अर्थदण्ड जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड; और

(2) बाद के प्रत्येक बार दण्डनीय घोषित होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड जिसकी अवधि छः मास हो सकती है या अर्थदण्ड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड।

विस्फोटकों द्वारा मछली बिनाश पर दण्ड

6. (1) यदि कोई व्यक्ति विस्फोटकों के प्रयोग से, किसी जल क्षेत्र में किसी मछली को मारता, पकड़ता या नष्ट करता है, पहली बार दण्डनीय घोषित होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या अर्थदण्ड, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड।

रि  
हं

से  
आ

तल  
सं  
हैं।

से  
इस  
किस  
करे

(2) बाद के प्रत्येक बार दण्डनीय होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या अर्धदण्ड, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड।

(3) ऐसी नदी, जलधारा, खाल, तालाब, झील, जलाशय जो मछली के निवास स्थल हैं, के निरुद्ध विस्फोटक पदार्थ, जो मछली मारने में प्रयोग हो सकते हैं, का संग्रह दण्डनीय घोषित होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या अर्धदण्ड, जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड।

7. (1) यदि कोई व्यक्ति किसी जहर, ब्लीचिंग पाउडर, चूना या विषैले पदार्थ, विद्युत धारा से मछली पकड़ता है या नष्ट करता है, दण्डनीय घोषित होने पर, किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या अर्धदण्ड, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड।

जहर द्वारा  
मछली विनाश  
पर दण्ड

(2) निषेध काल में मछली मारने या पकड़ने में कोई व्यक्ति धारा 3, उपधारा (3), भाग (घ) के अधीन निर्दिष्ट निषेध अवधि में जाल से मछली पकड़ने या मारने पर किसी भी प्रकार का कारावास जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या अर्धदण्ड जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड।

(3) संज्ञेय व गैर जमानती अपराध—इस अधिनियम की धारा 6 और 7 के अन्तर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे जो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निहित हैं।

8. (1) कोई मछली पदाधिकारी जो मत्स्य विकास अधिकारी के पद से नीचे का न हो या पुलिस पदाधिकारी, जो सब-इन्सपेक्टर के पद से नीचे का न हो, या अन्य व्यक्ति जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में विशेष रूप से अधिकार दे, किसी व्यक्ति को, जो उसके विचार में मछली पकड़ने का कोई अपराध कर रहा हो या करने की चेष्टा कर रहा हो, बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है।

अधिनियम के  
अधीन किये  
गये अपराधों  
के लिये बिना  
वारन्ट के  
गिरफ्तारी

(क) यदि उस व्यक्ति का नाम और पता उसे न मालूम हो; और

(ख) वह व्यक्ति अपना नाम और पता न बताता हो या यदि जो नाम व पता उसने बताया हो उसके ठीक होने के सम्बन्ध में सन्देह करने का कारण हो।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति उस समय तक के लिये रोक रखा जा सकता है, जब तक कि उसका नाम और पता ठीक-ठीक न मालूम हो जाय:

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उतने समय से अधिक न रोक रखा जायेगा, जितना उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक हो, सिवाय उस दशा के जब किसी मजिस्ट्रेट ने उसे रोकने की आज्ञा दी हो।

(3) प्रत्येक मछली पदाधिकारी को मछली पकड़ने के अपराध के सम्बन्ध में तलाशी लेने और जांच पड़ताल करने के वही सब अधिकार प्राप्त होंगे, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन सब-इन्सपेक्टर के पद के किसी पुलिस पदाधिकारी को प्राप्त हैं।

9. किसी मछली पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी, जो सब-इन्सपेक्टर के पद से निम्न पद का न हो या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के बर्ग द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किये गये हों, अभियोग प्रस्तुत किये जाने की दशा के अतिरिक्त किसी अन्य दशा में कोई न्यायालय इस एक्ट के अधीन किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।

अपराध की  
संज्ञेयता

कुछ अपराधों के सम्बन्ध में समझौता करने का अधिकार

10. (1) गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर राज्य सरकार किसी मछली पदाधिकारी को स्वयं उसके नाम या उसके पद से इस बात का अधिकार दे सकती है कि वह—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विषय में ऐसा प्रमाण हो जिससे यदि उसका खण्डन न किया जाय, यह सिद्ध हो कि उस व्यक्ति ने परिशिष्ट के द्वितीय स्तम्भ में उल्लिखित मछली पकड़ने का कोई अपराध किया है, उस अपराध के लिये मुआवजे के रूप से कोई धनराशि ग्रहण कर ले, जिसके सम्बन्ध में ऐसा प्रमाण (साक्ष्य) हो और ऐसी धनराशि ऐसे पदाधिकारी को दिये जाने पर वह व्यक्ति हिरासत में हो, मुक्त कर दिया जायेगा और फिर उसके विरुद्ध और कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी;

(ख) किसी ऐसी सम्पत्ति को जो जब्ती के योग्य होने के कारण जब्त कर ली गई हो, बिना कोई और धनराशि लिये या उसका ऐसा मूल्य लेकर, जिसका अनुमान ऐसे पदाधिकारी ने लगाया हो, मुक्त कर दे और ऐसे मूल्य का भुगतान होने पर वह सम्पत्ति मुक्त कर दी जायेगी और उसके बारे में कोई अन्य कार्यवाही न की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के वाक्य खण्ड (क) के अधीन क्षतिपूर्ति के रूप में ग्रहण की गयी धनराशि किसी भी दशा में उस धनराशि से अधिक न होगी, जो परिशिष्ट के द्वितीय स्तम्भ में वर्णित अपराध विशेष के लिये उसके तृतीय स्तम्भ मुआवजे के रूप में ली जा सकती हो।

अधिनियम लागू करने के लिये चिह्नित राज्य कार्मिक

11. मत्स्य अधिनियम के निष्पादन के लिए नियुक्त किये गये सभी अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक माने जायेंगे।

### परिशिष्ट

(धारा 10 देखिये)

क्षतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि जो मछली पकड़ने के कतिपय अपराधों के लिये धारा 10 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में ली जा सकती है।

क्रमांक	अपराध का विवरण	क्षतिपूर्ति के रूप में ली जाने योग्य अधिकतम धनराशि (रु० में)
1	2	3
1.	ऐसे जाल से मछली मारना, जिसके फंदे इस एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार निर्धारित नाप से छोटे हों	एक हजार
2.	बिना लाइसेंस के मछली मारना	एक हजार
3.	ऐसी मछलियों को मारना, पकड़ना या बेचना या मारने, पकड़ने या बेचने की चेष्टा करना जो इस एक्ट द्वारा निर्धारित माप से कम नाप तौल की हों	पांच सौ
4.	मछली मारना निषेध अवधि में ऐसी जाति की मछलियों को मारना, पकड़ना या बेचना या मारने, पकड़ने, बेचने की चेष्टा करना, जिन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया हो	पांच सौ
5.	नियम के अधीन स्वीकृत विधियों के अतिरिक्त किसी अन्य विधि या उपकरण से मछली पकड़ना	पांच सौ
6.	नियम के अधीन स्वीकृत, एक समय में दो से अधिक विधि या उपकरण का प्रयोग	पांच सौ
7.	मछली मारते समय लाइसेंसदारों का बिना लाइसेंस वाले व्यक्तियों को अपनी जालों सहित मछली पकड़ने में सहायता देने के लिये नियुक्त करना या काम पर लगाना	पांच सौ
8.	ऐसे जलाशय में मछली पकड़ना या पकड़ने की चेष्टा करना, जिसमें मछली मारने का निषेध हो	पांच सौ

1	2	3
9.	ऐसी मछलियों को बेचने या अदला-बदली करने के लिये उपस्थित या प्रदर्शित करना, जिनका धारा 4 के अधीन जारी की गई किसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट क्षेत्र में बेचना निषिद्ध हो	पांच सौ
10.	धारा 3 की उपधारा (3) के वाक्य खण्ड (छ) के अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करके मछली को बाहर भेजना या भेजने की चेष्टा करना	एक हजार
11.	निर्दिष्ट बाजार से अधिक मूल्य पर मछली बेचना या बेचने की चेष्टा करना	पांच सौ
12.	धारा (3) की उप धारा (3) के वाक्य खण्ड (ण) के अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करके मछली पकड़ने के उपकरण रखना	चार सौ

उत्तरांचल की मुख्य नदियां एवं सहायक नदियां माहसीर एवं ट्राउट क्षेत्रों को दर्शाते हुए

जनपद	उत्तरांचल में नदी/ सहायक नदी का नाम	उत्तरांचल में लम्बाई (कि०मी०)	माहसीर जोन (कि०मी०)	ट्राउट जोन (कि०मी०)
1	2	3	4	5
देहरादून	यमुना	50	30	—
	टौंस	45	—	15*
	सौंग	25	25	—
उत्तरकाशी	असीगंगा	34	—	34*
	यमुना	50	15 (बड़कोट से नीचे)	35 (बड़कोट से ऊपर)
चमोली	मागीरथी	140	45 (गंगोरी से नीचे)	95 (गंगोरी से ऊपर)
	टौंस	20	—	20
	रामगंगा (प०)	20	—	—
	फिण्डर	93	—	93*
	अलकनन्दा	150	—	150
	विष्णु गंगा	150	—	150
	विरही गंगा	50	—	50*
	गरुड़ गंगा	15	—	15
	बालखिला	15	—	15*
	अमृत गंगा	05	—	05
	नन्दाकिनी	40	—	40
	निगोल	15	—	15
	उपला	15	—	15
	रुद्रप्रयाग	अनन्तगाड़	20	—
मन्दाकिनी		100	(बांसबारा से नीचे)	40 (अगस्त्य मुनि से ऊपर)
काली नदी		10	—	10
मदमहेश्वर		25	10	15
कल्प गंगा		15	—	15
	काकड़ा नदी	15	—	15



1	2	3	4	5
टिहरी	भागीरथी	80	80	—
	भिलंगना	50	20 (भागीरथी संगम से ऊपर)	—
पौड़ी	रामगंगा (प०)	37	37	—
	अलकनंदा	50	50	—
	नयार (प०)	60	60	—
	नयार (प०)	50	50	—
	गंगा	48	48	—
	नयार नदी	18	18	—
	कोठारी नदी	21	—	—
	पलान नदी	21	—	—
	खोह नदी	12	—	—
	मालिन नदी	12	12	—
	रेबासन नदी	15	—	—
	मिनायता नदी	12	—	—
	नल नदी	18	—	—
	हियाल नदी	27	—	—
	सोन नदी	12	—	—
हरिद्वार	गंगा	20	20	—
	सौंग	05	05	—
	सुवा	12	12	—
कुमायूँ नैनीताल	कोसी	60	60	—
	गौला	50	15 (काठगोदाम से ऊपर)	—
	नंधौर	30	30	—
	भवाली नाला	20	10 (कैची मंदिर से नीचे)	—
अल्मोड़ा	कोसी	58	58	—
	रामगंगा (प०)	77	77	—
	सुयाल	41	15 (कोसी नदी संगम से ऊपर)	—
	गगास	38	38	—
	विनोद	20	—	—
	पनार	26	26	—
बागेश्वर	सरयू	57	40 (कपकोट से नीचे)	17 (कपकोट से ऊपर)
	लाहुर	10	10	—
	गोमती	40	40	—
	फनगाड़	20	20	—
	गरुड़ गंगा	10	10	—
पिथौरागढ़	रामगंगा	92	70 (सरयू संगम से ऊपर)	22 (तेजम से ऊपर)

1	2	3	4	5
पिथौरागढ़	सरयू	60	60	—
	काली	190	150	40 (घारचूला से ऊपर)
	गौरी	90	30 (काली संगम से ऊपर)	60 (मदकोट से ऊपर)
	घांली	80	—	—
	चरमागाड़	14	5	—
	दुली गाड़	18	18	—
चम्पावत	काली	20	20	—
	लोहावती	40	40	—
	लधिया	50	50	—
ऊधमसिंह नगर	शारदा	10	—	—
	कैलाश	10	—	—

अधिकांश नदियों के ऊपरी भाग में असेला प्रजाति (स्नो ट्राउट) की मछलियों के प्राकृतिक निवास-स्थल है।

\* वर्तमान ट्राउट क्षेत्र।

आज्ञा से,  
भरोसी लाल,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Fisheries Act, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 02 of 2003) for general information:

No. 183/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003  
Dated Dehradun, May 27, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 16, 2003.

THE UTTARANCHAL FISHERIES ACT, 2003  
(UTTARANCHAL ACT No. 02 OF 2003)

AN  
ACT

to provide for management of Fisheries and related matters in the State of Uttaranchal in Fifty-fourth year of Republic of India as follows :--

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal State Fisheries Act, 2003. Short title, Extent and Commencement
- (2) It extends to the whole of Uttaranchal State.
- (3) It shall come into force at once.
2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-- Definitions
  - (1) 'Fish' includes shell fish and fin fish, turtles in all stages of its life history including aquatic plants used by fishes;
  - (2) 'Fishing craft' means any boat, whether manually operated or powered, used for fishing or transport of fish;

(3) 'Fishing gear' means any net, line rod and line, fishing tackle and other appliances used for catching fish;

(4) 'Fishing offence' means an offence punishable under this Act or under any rule made thereunder;

(5) 'Fishery officer' means any person whom the Uttaranchal Govt. or any other officer empowered by the Uttaranchal Govt. in this behalf, may from time to time, appoint by name or as holding an office, to carry out all or any of the purposes of this Act or to do anything required by this Act or any rule made thereunder :

Provided that no police officer below the rank of sub-inspector shall be so empowered;

(6) 'Fixed engine' means any net, cage, trap other contrivance for taking fish, fixed in the soil or made stationary in any other way;

(7) 'Private waters' means waters which are the exclusive property of any person or in which any person has for the time being an exclusive right of fishery, whether as owner, lease or in any other capacity and includes tanks, ponds, artificial lakes etc. excavated at the expense of the owner which have no communication in the rainy season with natural waters such as rivers, streams, canals and jhils;

(8) 'State Government' means the Government of Uttaranchal;

(9) Fish Sanctuary/Protected water source means water source where due to any reason fishing is prohibited. All such water sources would be declared as prohibited areas for fishing for conservation of fish Bio Diversity after due publication in the State Gazette.

Power to make rules for prohibition and licensing of fishing in selected waters

3. (1) The State Government may make rules for the purposes mentioned hereinafter in this section and shall under such rules declare the waters, not being private waters, to which all or any of them shall apply.

(2) The State Govt. may, by notification in the official Gazette apply such rules or any of them to any private waters with the consent in writing of the owner thereof and of all persons having for the time being any exclusive right of fishery therein, or if the State Govt. is satisfied that the consent is unreasonably withheld without such consent. Provided that no rules under this section shall apply to any religious waters.

(3) Such rules may—

(a) Prohibit or regulate all or any of the following matters—

(1) The erection and use of fixed engines,

(2) The ownership of check dams constructed on rivers/tributaries would continue with the existing deptt. but the total control over their fishery management activities and monitoring the harvesting of stocks will vest with the Deptt. of Fisheries. The Deptt. of Fisheries would be authorized to allot the check dams to Self Help Groups/Fishery Co-operative Societies on lease for fishing activities and stocking,

(3) The dimension and kinds of fishing gears to be used and the mode of using them;

(b) Prohibit fishing except under license and regulate the granting of such licenses, the fees payable therefor and the conditions to be inserted therein;

(c) Prohibit the destruction or attempt to destroy fish by gun, spear, bow and arrow or like instrument or pollution of waters by trade effluents;

(d) Prescribe seasons in which the killing or catching or sale of any fish of any prescribed species shall be prohibited;

(e) Prescribe a minimum size or weight below which no fish or any prescribed species shall be caught, killed or sold;

- (f) Prohibit fishing in any specified water for specified period;
- (g) Regulate the export of fish outside any area or areas and price at which fish may be brought or sold in any specified markets of all or any specified species;
- (h) Require the owner, mortgagee with possession or lease of any tank or jhil for the stocking of such tanks or jhils with any class or classes of fish;
- (i) Fishing shall be prohibited during breeding seasons in Rivers/tributaries and other breeding places;
- (j) Progressive fish farmers would be rewarded at the State level;
- (k) Encouragement and training would be provided to communities like Bengalis, Tribals, Machhua, Nishads, Kashyaps etc. who earn their livelihood from fisheries;
- (l) The Fisheries Deptt. would provide facilities to fish farmers for their economic and social upliftment by way of making societies/federations;
- (m) The deptt. would provide facilities to progressive fish farmers under various schemes by Central/State Govt. viz. bank loans; pond constructions, fish seeds, fish feed, training etc.;
- (n) Regulate the marketing of fish and also purchase and use of fish for preservation or for the manufacture of any fish products;
- (o) Regulate the possession of fishing craft and gear within such specified limits as may appear to be necessary; and
- (p) Regulate the transport of all fish or of certain species or fish products within specified limits as may appear to be necessary.

Such rules may, among other matters –

- (a) Prescribe the routes by which fish alone or fish products may be imported into and exported from the State of Uttaranchal;
  - (b) Prohibit the import, export or transport within specified limits of fish without a pass from a fisheries officer or a person duly authorized to issue the same or otherwise than in accordance with the conditions of each pass;
  - (c) Prescribe the form of such passes and provide for their issue, production and return; and
  - (d) Provide for the examination of fish in transit within specified limits.
- (4) In making any rule under this section the State Govt. may provide for—
- (a) Seizure, removal and forfeiture of any apparatus erected or used for fishing in contravention of the rules;
  - (b) Forfeiture of any fish taken by means of any such apparatus; and
  - (c) Confiscation of any consignments of fish held or transported in contravention of the rules.

(5) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprise in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the sessions immediately following. The assembly makes any modification in rule or decides that the rule should not be made. The rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Power to prohibit sale of fish	4. The State Govt. may, by notification in the official Gazette, prohibit in such area or areas as may be specified in that behalf the offering or exposing for sale or barter of any fish killed in contravention of any rule made under sub-section (3) of this Act.
Penalties	5. The breach of any rule made under section 3 or of any prohibition notified under section 4 shall be punishable— (1) On first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both; and (2) On every subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
Punishment for destruction of fish by explosives	6. (1) If any person uses any dynamite or other explosive substances in any water with intent thereby to catch or destroy any fish, that may be therein, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five thousand rupees or with both. (2) Whoever, having already been convicted of an offence under sub-section (1) is again convicted thereunder, shall, on every subsequent conviction, be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine which may extend to five thousand rupees. (3) If a person is found to be in possession of a dynamite or any other explosive substance for the purpose of killing the fish near or in the vicinity or on the bank of a river, rivulet, khad, pond, lake, reservoir which are inhabited by the fishes, shall unless he explains satisfactorily that his possession or control over such a dynamite or the explosive substance was for a lawful object, be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to three thousand rupees or with both.
Punishment for destruction of fish by poisoning	7. (1) If any person puts any poison, bleaching powder, lime or noxious material and electric current into any water with intent thereby to catch or destroy any fish, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine of five thousand rupees or with both. (2) Punishment for killing or catching fish during prohibited season. If any person kills or catches fish with a net during the season, in which killing or catching of fish is prohibited under any rule framed under clause (d) of sub-section (3) of section 3, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to three thousand rupees or with both. (3) <b>Offences to be cognizable and non-bailable</b> —Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, all offences under section 6 and 7 of this Act shall be cognizable and non-bailable offences.
Arrest without warrant for offence under this Act	8. (1) Any fisheries officer not below the rank of Fisheries Department Officer, police officer not below the rank of the sub-inspector, or any other person specially empowered by the State Government in this behalf, may arrest without any warrant any person committing or attempting to commit, in his view a fishing offence— (a) If the name and address of the person are not known to him; and (b) If the person declines to give his name and address, or if there is reason to doubt the accuracy of the name and address, if given. (2) A person arrested under this section may be detained until his name and address have been correctly ascertained: Provided that no person so arrested shall be detained longer than it may be necessary for bringing him before a Magistrate, except under the order of a Magistrate for his detention.

(3) Every fishery officer shall have the same powers of search and investigation relating to a fishing offence as a police officer of the rank of the Sub-Inspector has under the code of Criminal Procedure, 1973.

9. No court shall take cognizance of any offence under this Act, except the complaint of a fishery officer or of a police officer not below the rank of the Sub-Inspector or any other person or class of persons authorized by the State Govt. in this behalf.

Cognizance of offences

10. (1) The State Govt. may, by notification in the official Gazette, empower a fishery officer by name or by virtue of office—

Power to compound certain offences

(a) to accept from any person concerning whom evidence exists, which if un rebutted, would prove that he has committed any fishing offence as described in the second column of the Schedule, a sum of money by way of compensation for the offence with regard to which such evidence exists and on the payment of such sum to such officer, such person, if in custody, shall be released and no further proceedings shall be taken against him;

(b) to release any property that has been seized as liable to confiscation without further payment or on payment of the value hereof as estimated by such officer and on the payment of such value such property shall be released and no further proceedings shall be taken in respect thereof.

(2) A sum of money accepted as compensation under clause(a) of subsection (1) shall in no case exceed the amount acceptable as compensation in the third column of the Schedule for the particular offence described in the second column thereof.

11. All persons empowered to exercise powers and perform duties under this Act or rules made thereunder shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of Indian Penal Code.

Public servants indemnified for acts done under this Act

### THE SCHEDULE

(See Section 10)

Maximum amount acceptable as compensation for certain fishing offences under section 10.

Sl. No.	Description	Maximum Amount acceptable (in Rs.)
1	2	3
1.	Fishing with a new net having a smaller mesh than that prescribed under the rules made under the Act	One thousand
2.	Fishing without a license	One thousand
3.	Killing or catching or selling or attempt to kill, catch or sell fish of a size or weight less than the standard prescribed under this Act	Five hundred
4.	Killing or catching or selling or attempt to kill, catch or sell any fish of a prohibited species during a close season	Five hundred
5.	Fishing or attempting to fish with any gear or method other than permitted under the rules	Five hundred
6.	Using at any one time more than two of either or any of the gears permitted under the rules	Five hundred
7.	License holders employing or engaging Non-licensées to help them with their Nets, while fishing	Five hundred
8.	Fishing or attempting to fish in prohibited water	Five hundred

1	2	3
9.	Offering or exposing for sale or barter any fish, the sale of which is prohibited in any specified area by a notification issued under section 4 of the Act	Five hundred
10.	Exporting or attempting to export fish in contravention of any rule made under clause (1) sub-section (3) of section 3 of the Act	One thousand
11.	Selling or attempting to sell fish for price above the specified marked value	Five hundred
12.	Possessing fishing craft and tackles unauthorisingly in contravention of clause (o) of sub-section(3) of section 3 of the Act	Four hundred

**IMPORTANT RIVERS AND THEIR TRIBUTARIES IN UTTARANCHAL SHOWING  
MAHSEER AND TROUT ZONES**

Distt.	River/stream in Uttaranchal	Stretch (length in Uttaranchal) (k.m.)	Mahseer zone (k.m.)	Trout zone (k.m.)
1	2	3	4	5
Dehradun	Yamuna	50	30	-
	Tons	45	-	15*
	Song	25	25	-
Uttarkashi	Asaiganga	34	-	34*
	Yamuna	50	15 (Downstream Barkot)	35 (Upstream Barkot)
	Bhagirathi	140	45 (Downstream Gangori)	95 (Upstream Gangori)
Chamoli	Tons	20	-	20
	Ramganga (w)	20	-	-
	Pinder	93	-	93*
	Alaknanda	150	-	150
	Vishnuganga	150	-	150
	Virshiganga	50	-	50*
	Garurganga	15	-	15
	Prakhila	15	-	15*
	Amritaganga	5	-	5
	Nandakini	40	-	40
	Nigole	15	-	15
	Upla	15	-	15
Rudraprayag	Anathgad	20	-	20
	Mandakini	100	(Downstream Banswara)	40 (Downstream Augustmuni)
	Kali nadi	10	-	10
	Madmaheshwar	25	10	15
	Kalpganga	15	-	15
Tehri	Kakra nadi	15	-	15
	Bhagirathi	80	80	-
	Bhilangana	50	20 (Upstream from confluence with Bhagirathi)	-
Pauri	Ramganga (E)	37	37	-
	Alaknanda	50	50	-
	Nayyar (E)	60	60	-
	Nayyar (W)	50	50	-
	Ganga	48	48	-

1	2	3	4	5
Pauri	R. Nayyar	18	18	-
	Kothari nadi	21	-	-
	Plan nadi	21	-	-
	Khoh nadi	12	-	-
	Malin nadi	12	12	-
	Rewason nadi	15	-	-
	Minayata nadi	12	-	-
	Nal nadi	18	-	-
	Hiyal nadi	27	-	-
	Son nadi	12	-	-
Hardwar	Ganga	20	20	-
	Song	5	5	-
	Suwa	12	12	-
Kumaon Nainital	Kosi	60	60	-
	Gaula	50	15 (Upstream Kathgodam)	-
	Nandour	30	30	-
	Bhowalinala	20	10 (Downstream from Kainchi temple)	-
Almora	Kosi	58	58	-
	Ramganga (W)	77	77	-
	Suyal	41	15 (Upstream confluence with R. Kosi)	-
	Gaggas	38	38	-
	Vinod	20	-	-
	Pannar	26	26	-
Bageshwar	Saryu	57	40 (Downstream Kapkot)	17 (Upstream Kapkot)
	Lahur	10	10	-
	Gomti	40	40	-
	Phangar	20	20	-
	Garurganga	10	10	-
Pithoragarh	Ramganga	92	70 (Upstream from confluence with Saryu at Ramganga)	22 (Upstream Tejam)
	Saryu	60	60	-
	Kali	190	150	40 (Upstream Dharchula)
	Gori	90	30 (Upstream confluence with Saryu of Ramganga)	(Upstream Madkot)
	Dhaouli Chamagad	80 14 (Upstream from confluence with R. Kali)	- 5	-



1	2	3	4	5
Pithoragarh	Thuligad	18	18	-
Champawat	Kali	20	20	-
	Lohawati	40	40	-
	Ladhiya	50	50	-
Udhamsingh nagar	Sharada	10	10	-
	Kailash	10	-	-

Almost majority of the reverine systems in Uttaranchal region harbour Snow trout fishery especially in the upper reaches.

\* Existing trout waters.

By Order,

**BHAROSI LAL,**  
Sachiv.



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 03 अप्रैल, 2023 ई0

चैत्र 13, 1945 शक सम्बत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 132/XXXVI(3)/2023/76(1)/2022

देहरादून, 03 अप्रैल, 2023

### अधिसूचना

### विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2022’ पर दिनांक 31 मार्च, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्या: 06, वर्ष-2023 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2023)

उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम, 2003 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए,

## अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।
- (2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।
- (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- अधिनियम में संशोधन
2. उत्तरांचल मत्स्य अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में "उत्तरांचल" शब्द के स्थान पर जहाँ-जहाँ वे आते हैं, "उत्तराखण्ड" शब्द रखा जायेगा।
- धारा 4 का संशोधन
3. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:-
4. राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञापित द्वारा यह निषेध कर सकती है कि किसी क्षेत्र या क्षेत्रों में, जो इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट किये जायें, कोई ऐसी मछली बिक्री या अदला-बदली के लिये प्रस्तुत या प्रदर्शित न की जाय जो इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करके पकड़ी अथवा मारी गई हो।
- धारा 5 का संशोधन
4. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:-
5. धारा 3 के अधीन बनाये गये किसी नियम का या किसी ऐसे निषेध का उल्लंघन करने पर जिसके सम्बन्ध में, धारा 4 के अधीन विज्ञापित निकाली गई हों, निम्नलिखित दण्ड दिया जायेगा-
- (i) प्रथम बार के उल्लंघन करने पर पांच सौ रुपये तक का अर्थदण्ड, और
- (ii) पश्चात्वर्ती प्रत्येक बार उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये तक का अर्थदण्ड।

प्रमाणित पति

M

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड



## धारा 6 का संशोधन

"विस्फोटकों द्वारा  
मछली विनाश पर  
दण्ड"

5. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:-

6. (1) यदि कोई व्यक्ति विस्फोटकों के प्रयोग से, किसी जल क्षेत्र में किसी मछली को मारता, पकड़ता या नष्ट करता है, पहली बार दण्डनीय घोषित होने पर "रूपये दो हजार न्यूनतम" तथा उक्त के अतिरिक्त "अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि इस प्रकार से विहित होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय", का अर्थदण्ड।

(2) जो कोई पहले ही उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध किया गया हो, उसी अपराध के लिये फिर से दोषसिद्ध होने पर, प्रत्येक पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर जुर्माना जो कि "रूपये दो हजार न्यूनतम" तथा उक्त के अतिरिक्त "अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि इस प्रकार से विहित होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय", का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

(3) यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में नदी, जलधारा, खड्ड, तालाब, झील, जलाशय जो मछली के निवास स्थल हैं, के निकट बारूद या विस्फोटक पदार्थ, जो मछली मारने में प्रयोग हो सकते हैं पाये जाये, तो जब तक वह ऐसे बारूद या विस्फोटक पदार्थ को कब्जे में विधिपूर्ण उद्देश्य से रखने का संतोषप्रद स्पष्टीकरण न दे सके तो वह जुर्माना जो "अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि इस प्रकार विहित होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय" का हो सकेगा से दण्डनीय होगा।


## धारा 7 का संशोधन

"जहर द्वारा मछली  
विनाश पर दण्ड"

6. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:-

(2) यदि कोई व्यक्ति उस ऋतु के दौरान जिसमें मछली मारना या पकड़ना धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के अधीन बनाये गये नियम द्वारा निषिद्ध है, जाल से मछली मारता या पकड़ता है तो वह जुर्माना से जो "अधिकतम अर्थदण्ड की धनराशि इस प्रकार विहित होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय" का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

प्रमाणित प्रति

  
लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

आज्ञा से,  
शमशेर अली,  
अपर सचिव।

'कारण एवं उद्देश्य'

राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में मत्स्य पालन की व्यवस्था तथा तद्सम्बन्धी विषयों के लिये उत्तरांचल मत्स्य अधिनियम, 2003 प्रख्यापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता (competitiveness) में सुधार लाने और नियामक ढांचे को सरल बनाने के लिये नियामक अनुपालन बोझ (regulatory compliance burden) को कम करने और गैर-अपराधीकरण के लिये की गयी पहल के दृष्टिगत जिन प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत फर्म/व्यवसाय/नागरिक के विरुद्ध आपराधिक प्रक्रियाएं एवं मुकदमें पंजीकृत किये जाते हैं, को Decriminalize किया जाना है। अतः भारत सरकार के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में उत्तरांचल मत्स्य अधिनियम, 2003 की कतिपय धाराओं यथा-धारा-4, धारा-5, धारा-6 एवं धारा-7 की उपधारा-2 में से कारावास के दण्ड का प्रावधान विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।

2- प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

सौरभ बहुगुणा  
मंत्री

प्रमाणित प्रति



लोक सूचना अधिकारी  
विधायक सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड



No. 132/XXXVI(3)/2023/76(1)/2022

Dated Dehradun, April 03, 2023

NOTIFICATIONMiscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Fisheries (Amendment) Act, 2022' (Act No. 06 of 2023).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 31 March, 2023.

**THE UTTARAKHAND FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 2022**

(Uttarakhand Act No. 06 of 2023)

**An****Act**

further to amend the Uttarakhand Fisheries Act, 2003

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy third Year of the Republic of India as follows:-

- |                                      |    |  |
|--------------------------------------|----|--|
| Short title, extent and commencement | 1. | (1) This Act may be called the Uttarakhand Fisheries (Amendment), Act, 2022.<br>(2) It extends to whole of State of Uttarakhand.<br>(3) It shall come into force at once.  |
| Amendment in the Act                 | 2. | In the Uttaranchal State Fisheries Act, 2003 (hereinafter referred to as the principal Act) for the word "Uttaranchal" wherever it occurs, the word "Uttarakhand" shall be substituted.  |
| Amendment of Section 4               | 3. | For Section 4 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-   |
| Power to prohibit sale of fish       | 4. | The State Govt. may, by notification in the official Gazette, prohibit in such area or areas as may be specified in this behalf the offering or exposing for sale or barter of any fish caught or killed in contravention of any rule made under, sub-section (3) of section 3 this Act. |

प्रमाणित पति

सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड



**Amendment of  
Section 5****Penalties**

4. For Section 5 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

5. The breach of any rule made under section 3 or of any prohibition notified under section 4 shall be punishable -

(1) On first conviction with fine which may extend to five hundred rupees.

(2) On every subsequent conviction with fine which may extend to one thousand rupees.

**Amendment of  
Section 6****Punishment for  
destruction of fish  
by explosive**

5. For Section 6 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

6. (1) If any person uses any explosive substances in any water with intent thereby to kill, catch or destroy any fish, he shall be punishable with fine which may "Rupees Two Thousand minimum" and in addition to the above "the amount of maximum fine shall be prescribed in such a manner as may be determined by the State Government from time to time".

(2) Whoever, having already been convicted of an offence under sub-section (1) is again convicted thereunder, shall, on every subsequent conviction, be punishable with fine which may "Rupees Two Thousand minimum" and in addition to the above "the amount of maximum fine shall be prescribed in such a manner as may be determined by the State Government from time to time".

(3) If a person is found to be in possession of a dynamite or any other explosive substance for the purpose of killing the fish near or in the vicinity or on the bank of a river, rivulet, khadd, pond, lake, reservoir which are habitated by the fishes, shall unless he explains satisfactorily that his possession or control over such a dynamite or the explosive substance was for a lawful object, be punishable with fine may "The amount of maximum fine shall be such as may be prescribed by the State Government from time to time."

**Amendment of  
Section 7****Punishment for  
destruction of fish  
by poisoning**

6. For sub-section (2) of Section 7 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-

(2) If any person kills or catches fish with a net during the season, in which killing or catching of fish is prohibited under any rule framed under clause (d) of sub-section (3) of section 3, shall be punishable with fine which may "The amount of maximum fine shall be such as may be prescribed by the State Government from time to time."

By Order,

SHAMSHER ALI,  
Additional Secretary.

प्रमाणित पति

*(Signature)*

लोक सूचना अधिकारी  
वेदाङ्ग सेवा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

Statement of objects and reasons

The Uttaranchal Fisheries Act, 2003 has been promulgated by the State Government for the arrangement of fisheries in the state of Uttarakhand and related matters. In view of the initiative taken by the Government of India to improve the competitiveness of the economy and to simplify the regulatory framework, to reduce the regulatory compliance burden and for decriminalization, the provisions under the Acts/Rules promulgated in the State, the cases are registered against Firm/Business Criminal procedures and Citizens, to be decriminalized. Therefore, in compliance with the above instructions of the Government of India, the provision of punishment of imprisonment in certain sections of the Uttaranchal Fisheries Act, 2003, such as section-4, section-5, section-6 and sub-section-2 of section-7 is proposed to be omitted.

2- The proposed Bill fulfills the aforesaid objectives.

Saurabh Bahuguna  
Minister

प्रमाणित पति

  
लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड